[illegible]--107

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी० / एल०--
डब्लू० / एन०पी०--91 / 2014--16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग--4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 जुलाई, 2020
आषाढ़ 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह विभाग (पुलिस) अनुभाग--1

संख्या 2 / 2020 / 1399 / 6--पु-1--20-53-2015
लखनऊ, 13 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०--38

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:--

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 15 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ--1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ--2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :--

स्तम्भ--1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ--2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ख) लिखित परीक्षा ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, उनसे 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र रखेगा:--	**(ख) लिखित परीक्षा** ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जायेंगे, से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस लिखित परीक्षा में, बोर्ड निम्नलिखित विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र रखेगा:--

स्तम्भ—1

विद्यमान खण्ड

Subject	Maximum Marks
1. सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. मूलविधि / संविधान / सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय बोर्ड किया जायेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा (ओएमआर) प्रणाली अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा (ओएमआर) प्रणाली अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित करने के लिए अपने स्तर पर विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:—

(1) लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(2) यदि बोर्ड एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

Subject	Maximum Marks
1. सामान्य हिन्दी	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
2. मूलविधि / संविधान / सामान्य ज्ञान	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा / बुद्धिलब्धि परीक्षा / तार्किक परीक्षा	100 अंक (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का विनिश्चय बोर्ड द्वारा किया जायेगा और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा (ओएमआर) प्रणाली अथवा कम्प्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से संचालित करने के लिए अपने स्तर पर विनिश्चय करेगा।

टिप्पणी:—

(1) लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(2) यदि बोर्ड एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ लिखित परीक्षा संचालित करने के लिए विनिश्चय करता है तो बोर्ड, अपने स्तर पर ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया का, यदि आवश्यक हो, विनिश्चय कर सकता है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

परन्तु उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहाँ कहीं इस नियम में शब्द "अंक" आया

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
	हो, उसका तात्पर्य "प्रसामान्यीकृत अंक" होगा। परन्तु यह भी कि भर्ती बोर्ड, प्रश्नपत्र के चार विषयों में से प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों का प्रथमतः प्रसामान्यीकरण करेगा और अंतिम कुल प्रसामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के प्रसामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जायेगी।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव, गृह।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.2/2020/1399/6-pu-1-20-53-2015, dated July 13, 2020 for General information:

No. 2/2020/1399/6-pu-1-20-53-2015

Dated Lucknow, July 13 , 2020

IN exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 *read* with sub-section (3) of the said section and section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view of amending the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2015.

THE UTTAR PRADESH SUB-INSPECTOR AND INSPECTOR (CIVIL POLICE) SERVICE (SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service (Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 15

2. In the Uttar Pradesh Sub-Inspector and Inspector (Civil Police) Service Rules, 2015, hereinafter referred to as the said rules, in rule 15 for Clause (b) set out in Column I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :-

COLUMN-I *Existing clause*	COLUMN-II *Clause as hereby substituted*
(b) Written Examination- Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of the following subjects:-	**(b) Written Examination-** Candidates whose applications are found correct, shall be required to appear for written test of 400 marks. In this written examination, the Board will keep one objective type question paper of the following subjects:-

Column-I:

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi	100 marks (objective type)
2. Basic Law/ Constitution/ General knowledge	100 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks (objective type)
4. Mental Aptitude Test /I.Q. Test / Reasoning	100 marks (objective type)

Column-II:

Subject	Maximum Marks
1. General Hindi	100 marks (objective type)
2. Basic Law/ Constitution/ General knowledge	100 marks (objective type)
3. Numerical and Mental Ability Test	100 marks (objective type)
4. Mental Aptitude Test /I.Q. Test / Reasoning	100 marks (objective type)

COLUMN-I

Existing clause

Candidates failing to obtain 35% marks in each subject and 50% marks in aggregate in the written examination shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by Board and will be displayed on its website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or more than one date in different shifts with different question paper through pen and paper based written examination (OMR) system or through computer based examination system.

Note:-

(1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

(2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shift with different question paper, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examination at its level and be displayed on its website.

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

Candidates failing to obtain 35% marks in each subject and 50% marks in aggregate in the written examination shall not be eligible for recruitment. The detailed syllabus for the examination will be decided by Board and will be displayed on its website. The Board will decide at its own level to conduct written examination on one date in a single shift or in more than one shift or more than one date in different shifts with different question paper through pen and paper based written examination (OMR) system or through computer based examination system.

Note:-

(1) Detailed procedure for written examination shall be determined by the Board and will be displayed on its own website.

(2) If the Board decides to conduct the written examination in more than one shift or on more than one date in different shift with different question paper, then the Board may, if necessary, decide the process of normalization of marks obtained by candidates appearing in such examination at its level and be displayed on its website.

Provided that under above circumstances wherever the word 'marks' appears in this rule, it shall mean 'normalized marks'.

Provided also that the board shall first normalize the raw marks obtained by the candidates separately in each of the four subjects in the question paper and the final total normalized marks will be calculated by summing up normalized marks of all the four subjects.

By order,

AWANISH KUMAR AWASTHI,

Additional Pramukh Sachiv, Grih.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 112 राजपत्र –2020–(225)–599 (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० गृह पुलिस–2020–(226)–2000 (क०/टी०/ऑफसेट)।

112 RPH- Grih- a u-1-2020 ni Data-4 D